सं0 एवी -21012/43/2005-एलएम 06 मई,2008

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक,
भारतीय वमानपत्तन प्रा धकरण,
उत्तरी क्षेत्र/द क्षणी क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र/पूर्वी क्षेत्र/उत्तर पूर्वी क्षेत्र,
दिल्ली/चेन्नई/मुंबई/कोलकाता/गुवाहाटी

वमानपत्तन निदेशक,
भारतीय वमानपत्तन प्रा धकरण,
चेन्नई/कोलकाता हवाई अड्डा

वषय: अंतरराष्ट्रीय /घरेलू हवाई अड्डों पर भू म/स्थान के लए लाइसेंस शुल्क तथा वा र्षक वृ द्ध का रेशनलाइज़ेशन

महोदय,

भारतीय वमानपत्तन प्रा धकरण के बोर्ड ने दिनांक 07.04.2008 को आयोजित अपनी 119वीं बैठक में हवाई अड्डे पर भू म और स्थान के लए लाइसेंस शुल्क के रेशनलाइज़ेशन से संबं धत मुद्दे पर वचार कया। वस्तृत वचार- वमर्श के बाद बोर्ड ने व भन्न क्षेत्रों /अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के अंतर्गत आने वाले हवाई अड्डों के संबंध में 1.4.2008 से 31.11.2011 तक 03 वर्षों की अव ध के लए भू म और स्थान के लए लाइसेंस शुल्क की दर को तर्कसंगत बनाने के लए निम्न ल खत मानदंडों के अनुसार अनुमोदन प्रदान कया:

I. दिनांक 1.4.2008 को समूह **I** और **V** के तहत वर्गीकृत व भन्न हवाई अड्डों पर भू म के लए लाइसेंस शुल्क की स्वीकृत दरें अनुलग्नक-**I** में दर्शाई गई हैं।
II. दिनांक 1.4.2008 को समूह ए और डी के तहत वर्गीकृत व भन्न हवाई अड्डों पर भू म के लए लाइसेंस शुल्क की स्वीकृत दरें अनुलग्नक-**II** में दर्शाई गई हैं।
III. हवाईअड्डे (ओं) पर भू म और स्थान के लए लाइसेंस शुल्क की वह मौजूदा दरें जो क क्रमशः अनुलग्नक I और II में इं गत अनुमोदित दरों से अ धक हैं, वह जारी रहेंगी। यह दरें 03 साल की अ धकतम अव ध के लए या वशेष समूह में हवाईअड्डे (ओं) के लए लाइसेंस शुल्क की अनुमोदित दरों के बढ़कर मौजूदा उच्च दर के स्तर तक आने तक, जो भी पहले हो,फ्रीज़ रहेंगी ।
IV. हवाई अड्डे (ओं) के कसी वशेष समूह के संबंध में अनुमोदित भू म और स्थान के लए लाइसेंस शुल्क की न्यूनतम दर उन छोटे हवाईअड्डे (ओं) पर भी लागू होंगी जो अनुलग्नक-1 और II में कवर नहीं हुए हैं।
V. हवाई अड्डों पर केंद्र सरकार के वभागों को उनके अनिवार्य /नियामक कार्यों के निष्पादन हेतु दी गई भू म और स्थान के लए लागू सामान्य लाइसेंस फीस का 50% शुल्क लया जाएगा। यह रियायत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पक्ष में लागू नहीं होगी।
VI. हैंगर स्पेस और अन्य सहायक इमारतों के लए लाइसेंस शुल्क गैर-ए /सी ट र्मनल भवनों के संबंध में लागू स्थान लाइसेंस शुल्क की दर के बराबर होगा। हालां क, जहां भी हैंगर लाइसेंस शुल्क की उच्च दरें लागू हैं वे उप-पैरा (iii) में परिभा षत अनुसार संचयी वा र्षक वृ द्ध के बिना लागू होंगी।

VII. प्रचालन क्षेत्र में पक्की भू म के लए लाइसेंस शुल्क कसी वशेष हवाई अड्डे पर लागू भू म लाइसेंस शुल्क की मूल दर से 20% अ धक होगा।

VIII. एएआई भू म के माध्यम से प्रवेश /भू मगत केबल्स /पाइपलाइन बिछाने के लए अनुमति पर केवल असाधारण परिस्थितियों में ही वचार कया जाएगा और यह एएआई बोर्ड द्वारा तय नियमों और शर्तों और दरों के अनुमोदन के अधीन है।

IX. भू म/स्थान/व्यापार रियायतों के लए चल रहे सभी प ों/लाइसेंस के संबंध में समझौते के वद्यमान नियम और शर्तें लागू होंगी।

X. दिनांक 1.4.2008 से प्रभावी संशो धत दर की समीक्षा 03 साल बाद की जाएगी। हालां क, व भन्न हवाई अड्डों पर भू म और स्थान के लए लाइसेंस शुल्क की दरों में @7.5% की वा र्षक यौ गक वृ द्ध लागू होगी यह वृ द्ध उन मामलों को छोड़कर लागू होगी जहां उपरोक्त पैरा (iii) के अनुसार उच्च दरें लागू हैं और फ्रीज़ की गई हैं।

XI. भू म और स्थान के लए लाइसेंस शुल्क की मौजूदा दर को 1.4.2006 से 31.3,2008 तक की पछली अव ध के लए हर साल @7.5% सालाना की दर से जोड़ा जा सकता है, यदि ऐसा पहले नहीं कया गया है।

2 कसी अन्य स्पष्टीकरण/ववरण के मामले में, कार्यपालक निदेशक (वा णज्यिक), निग मत मुख्यालय को समे कत तरीके से (क्षेत्रवार) संदर्भ भेजे जा सकते हैं।

3 उपरोक्त बोर्ड निर्णय तुरंत लागू कया जाएगा और उनके नियंत्रण में आने वाले हवाई अड्डों के संबंध में भू म/स्थान/हैंगर/पक्की भू म आदि के लए लाइसेंस शुल्क की सारणीबद्ध दरों के साथ अनुपालन रिपोर्ट रिकॉर्ड और संदर्भ के लए निग मत मुख्यालय को भेजी जाएगी।

4 फॉर्म्स इंफोसारथी पोर्टल पर भी उपलब्ध होंगे तथा इन्हें http://infosaarthee/boardmember/personal **and administration/commercial page** पर देखा/डाउनलोड कया जा सकता है।

कृपया पावती भेजें।

भवदीय

(आर.वी.नारायणन)
कार्यपालक निदेशक (वा णज्यिक एवं भू म प्रबंधन)

संलग्नक: अनुलग्नक-I (05 पृष्ठ)
अनुलग्नक-II (04 पृष्ठ)

प्रति:

1) कार्यपालक निदेशक (वत्त)-राजस्व
2) कार्यपालक निदेशक (वत्त)-इंटरनल ऑ डट
3) अध्यक्ष महोदय के ओएसडी

4) सदस्य (प्रचालन) के पीएस
5) सदस्य (पी एंड ए) के पीएस
6) सदस्य (वत्त) के पीएस
7) सदस्य (योजना) के पीएस
8) सीवीओ के पीएस

क्रम संख्या	हवाई अड्डे का नाम	भू म के लए लाइसेन्स फीस (01.04.2008 के अनुसार) (प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष) (रूपये में)
	समूह -III	
39	भुज	300
40	भुवनेश्वर	300
41	श्रीनगर	300
42	लेह	300
43	भावनगर	300
44	तिरुपति	300
45	जोरहाट	300
46	बेलगाम	300
47	वजयवाड़ा	300
48	पोरबन्दर	300
49	हुबली	300
50	गोरखपुर	300
51	मदुरै	300
52	कालीकट	300
53	केशोद	300
54	पंतनगर	300
55	जम्मू	300
56	चंडीगढ़	300
57	रायपुर	300

क्रम संख्या	हवाई अड्डे का नाम	भू म के लए लाइसेन्स फीस (01.04.2008 के अनुसार) (प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष) (रूपये में)
	समूह -IV	
58	भोपाल	350
59	इलाहबाद	350
60	कानपुर	350
61	लु धयाना	350
62	जबलपुर	350
63	सेलम	350
64	वशाखाप नम	350
65	पटना	350
66	गोवा	350
67	उदयपुर	350
68	औरंगाबाद	350

क्रम संख्या	हवाई अड्डे का नाम	भूम के लए लाइसेन्स फीस (01.04.2008 के अनुसार) (प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष) (रूपये में)
	समूह -V	
69	कोलकाता	1035
70	चेन्नई	1952
71	सफदरजंग	1355
72	जुहू	1408
73	लखनऊ	410
74	कोयंबटूर	410
75	वाराणसी	410
76	कोटा	410
77	जोधपुर	874
78	जामनगर	1041
79	खजुराहो	636
80	राजकोट	714
81	वडोदरा	1220
82	इंदौर	1149
83	जयपुर	618
84	पुणे	2185
85	आगरा	670
86	मैसूर	575
87	अगाती	413
88	अहमदाबाद	980

अनुलग्नक-II

स्थान लाइसेंस फीस ता लका

क्रम संख्या	हवाई अड्डे का नाम	भू म के लए लाइसेन्स फीस (01.04.2008 के अनुसार) (प्रति वर्ग मीटर प्रति माह) (रूपये में)	
		नॉन ए.सी	ए.सी
	समूह -ए		
1.	कोलकाता	500	750
2.	चेन्नई	500	750
3.	जुहू	500	750
4.	पुणे	500	750
5.	तिरुवनन्तपुरम	500	750
6.	गोवा	500	750
7.	लखनऊ	500	750
8.	कोयंबटूर	500	750
9.	वाराणसी	500	750
10.	अहमदाबाद	500	750
11.	कालीकट	500	750
12.	अमृतसर	500	750
13.	इंदौर	500	750
14.	जयपुर	500	750
15.	भोपाल	500	750

क्रम संख्या	हवाई अड्डे का नाम	भूमि के लए लाइसेन्स फीस (01.04.2008 के अनुसार) (प्रति वर्ग मीटर प्रति माह) (रूपये में)	
		नॉन ए/सी	ए/सी
	समूह -बी		
16	कुल्लू	300	450
17	मंगलौर	300	450
18	त्रिची	300	450
19	गया	300	450
20	सफ़दरजंग	300	450
21	राजकोट	300	450
22	वडोदरा	300	450
23	मैसूर	300	450
24	चंडीगढ़	300	450
25	जम्मू	300	450
26	उदयपुर	300	450
27	औरंगाबाद	300	450
28	लेह	300	450
29	गुवाहाटी	300	450
30	श्रीनगर	300	450
31	बागडोगरा	300	450
32	वशाखाप नम	300	450
33	पटना	300	450
34	मदुरै	300	450
35	बेलगाम	300	450
36	भावनगर	300	450
37	भुज	300	450

क्रम संख्या	हवाई अड्डे का नाम	भू म के लए लाइसेन्स फीस (01.04.2008 के अनुसार) (प्रति वर्ग मीटर प्रति माह) (रूपये में)	
		नॉन ए/सी	ए/सी
	समूह –सी		
38	कोटा	250	375
39	सेलम	250	375
40	लु धयाना	250	375
41	वजयवाड़ा	250	375
42	पोरबंदर	250	375
43	तिरुपति	250	375
44	रांची	250	375
45	पोर्ट ब्लेयर	250	375
46	देहरादून	250	375
47	शमला	250	375
48	पॉण्डिचेरी	250	375
49	ग्वा लयर	250	375

क्रम संख्या	हवाई अड्डे का नाम	भूमि के लए लाइसेन्स फीस (01.04.2008 के अनुसार) (प्रति वर्ग मीटर प्रति माह) (रूपये में)	
		नॉन ए.सी	ए.सी
	समूह -डी	200	300
50	जोरहाट	200	300
51	हुब्ली	200	300
52	गोरखपुर	200	300
53	इलाहाबाद	200	300
54	कानपुर	200	300
55	जबलपुर	200	300
56	भुवनेश्वर	200	300
57	कांडला	200	300
58	केशोद	200	300
59	पंतनगर	200	300
60	रायपुर	200	300
61	जोधपुर	200	300
62	अगाती	200	300
63	जामनगर	200	300
64	खजुराहो	200	300
65	आगरा	200	300
66	दीमापुर	200	300
67	राजामुन्दरी	200	300
68	इम्फाल	200	300
69	डब्रूगढ़	200	300
70	सलचर	200	300
71	अगरतला	200	300
72	अकोला	200	300
73	कूच बेहार	200	300
74	तेजपुर	200	300
75	बारापानी	200	300
76	कांगड़ा	200	300
77	तेज़ू	200	300

78	अलोंग	200	300
79	दापारिज़ो	200	300
80	केलाशहर	200	300
81	कमालपुर	200	300
82	लीलाबाड़ी	200	300
83	पासीघाट	200	300
84	रूपसी	200	300
85	खोवाई	200	300
86	ज़ीरो	200	300
87	तूतीकोरिन	200	300
88	गों डया	200	300

सं0 एवी -21012/43/2005-एलएम 23/26 मई,2008

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक,
भारतीय वमानपत्तन प्रा धकरण,
उत्तरी क्षेत्र/द क्षणी क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र/पूर्वी क्षेत्र/उत्तर पूर्वी क्षेत्र,
दिल्ली/चेन्नई/मुंबई/कोलकाता/गुवाहाटी

वमानपत्तन निदेशक,
भारतीय वमानपत्तन प्रा धकरण,
चेन्नई/कोलकाता हवाई अड्डा

वषय: अंतरराष्ट्रीय /घरेलू हवाई अड्डों पर भू म/स्थान के लए लाइसेंस शुल्क का रेशनलाइज़ेशन तथा उसकी वा षक वृ द्ध

महोदय,

कृपया उपर्युक्त वषय पर इस कार्यालय के दिनांक 6 मई, 2008 के समसंख्यक पत्र का संदर्भ लें।

व भन्न क्षेत्रों /अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के अंतर्गत आने वाले हवाई अड्डों के संबंध में भू म और स्थान के लए लाइसेंस शुल्क की दर को तर्कसंगत बनाने के लए उल्लि खत अव ध 1.4.2008 से 31.11.2011 तक के स्थान पर 1.4.2008 से 31.03.2008 पढ़ा जाए।

भवदीय

(आर.वी.नारायणन)
कार्यपालक निदेशक (वा णज्यिक एवं भू म प्रबंधन)

प्रति:

1) कार्यपालक निदेशक (वत्त)-राजस्व
2) कार्यपालक निदेशक (वत्त)-इंटरनल ऑ डट
3) अध्यक्ष महोदय के ओएसडी
4) सदस्य (प्रचालन) के पीएस
5) सदस्य (पी एंड ए) के पीएस
6) सदस्य (वत्त) के पीएस

7) सदस्य (योजना) के पीएस
8) सीवीओ के पीएस

सं0 एवी -21012/43/2005-एलएम 17/22 मई,2008

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक,
भारतीय वमानपत्तन प्रा धकरण,
उत्तरी क्षेत्र/द क्षणी क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र/पूर्वी क्षेत्र/उत्तर पूर्वी क्षेत्र,
दिल्ली/चेन्नई/मुंबई/कोलकाता/गुवाहाटी

वमानपत्तन निदेशक,
भारतीय वमानपत्तन प्रा धकरण,
चेन्नई/कोलकाता हवाई अड्डा

वषय: अंतरराष्ट्रीय / घरेलू हवाई अड्डों पर भू म/स्थान के लए लाइसेंस शुल्क का रेशनलाइज़ेशन तथा उसकी वा र्षक वृ द्ध-स्पष्टीकरण

महोदय,

निग मत मुख्यालय के दिनांक 6.05.2018 तथा 23/26.5.2018 के समसंख्यक पत्र 908/922 के माध्यम से परिचा लत अंतरराष्ट्रीय / घरेलू हवाई अड्डों पर भू म/स्थान के लए लाइसेंस शुल्क का रेशनलाइज़ेशन तथा उसकी वा र्षक वृ द्ध के लागू होने के बाद क्षेत्रों तथा हवाई अड्डों से अनेक प्रश्न प्राप्त हुए हैं। निग मत मुख्यालय में उनकी जांच की गई तथा उनका स्पष्टीकरण नीचे बिन्दुवार दिया गया है :-

1. <u>तेल कंपनियों पर लागू होने वाली दरें तथा उनमें वृ द्ध</u> :

   दिनांक 6.5.2008 को परिचा लत दरें तेल कंपनियों सहित सभी एजें सयों पर पत्र में वनिर्दिष्ट वृ द्ध सहित लागू होंगी। यह अंतरराष्ट्रीय / घरेलू/कस्टम आदि के निरपेक्ष सभी हवाई अड्डों पर लागू होगा। आईएडी/एनएडी के निरपेक्ष तेल कंपनियों के लए कोई अलग दर नहीं होगी।

2. <u>सफदरजंग,दिल्ली तथा जुहू मुंबई हवाई अड्डों पर मैसर्स पवन हंस पर लागू होने वाली दरें</u>:

   मध्यस्थता की अव ध 1.4.99 से 31.3.2009 तक दस साल के लए है, इस लए मध्यस्थता करार में उल्लि खत क्षेत्रों के लए इस अव ध के लए मध्यस्थता दर लागू होगी।

   हालां क, मध्यस्थता क्षेत्र से परे भू म के कसी भी अतिरिक्त आवंटन के मामले में, संबं धत हवाई अड्डे के लए अन्य एजें सयों पर लागू होने वाली मौजूदा दर लागू होगी। 1.4.2009 से लागू होने वाली दरें 1.4.2008 को सू चत दरों पर @ 7.5% की कंपाउं डंग/वृ द्ध के बाद होंगी।

3. <u>नागपुर तथा सूरत हवाई अड्डों पर लागू होने वाली दरें:</u>
भू म के लए 150/- पीएसएमपीए; गैर ए/सी के लए 300/- पीएसएमपीएम और ए/सी के लए रु 450/- पीएसएमपीएम लागू होगा बशर्ते मौजूदा दरें अ धक न हों। मौजूदा दरें अ धक होने की स्थिति में, दिनांक 6.5.08 के पत्र की बिंदु संख्या (iii) का संदर्भ लें।

4. <u>जामनगर, पुणे, रायपुर, बडौदा और त्रिची हवाई अड्डों पर गैर ए/सी स्पेस एलएफ से कम ए/सी स्पेस एलएफ स्टैं डंग की समीक्षा:</u>
दिनांक 6.5.08 के पत्र के माध्यम से सू चत नई दरें शीघ्र चालू होने वाली नई इमारतों के लए भी लागू होंगी (त्रिची)।

5. <u>जिन पार्टियों को वा णज्यिक उद्देश्यों के लए ए/सी क्षेत्र आबंटित कया गया है उन पर लागू होने वाली दरें:</u>
दिनांक 31.03.08 से पहले मानदंडों के बावजूद दरों के निर्धारण के लए दिनांक 6.5.08 के पत्र की बिंदु संख्या 3 के माध्यम से परिचा लत दरें लागू की जाएंगी।

6. <u>रेशनलाइज़ेशन के अनुसार नया टैरिफ चालू प ा/लाइसेंस/व्यापार रियायतों पर लागू है:</u>
दिनांक 1.4.08 से लागू दरें उन सभी एजें सयों पर समान रूप से लागू होती हैं जिन्हें हवाई अड्डों पर भू म /स्थान आबंटित कया गया है, बशर्ते संबं धत अनुबंधों में ऐसे संशोधन के लए उपयुक्त प्रावधान शा मल हों।

7. <u>लागू लाइसेंस शुल्क का 50% चार्ज करने के लए केंद्र सरकार के वभागों की स्थिति:</u>
केंद्र सरकार/राज्य सरकार के पूर्ण स्वा मत्व वाले वभाग लागू लाइसेंस शुल्क का 50% देने के पात्र होंगे। यह रियायत केंद्रीय /राज्य सरकार के पीएसयू के पक्ष में लागू नहीं होगी।

8. <u>फ्लाइंग क्लब्स के संबंध में लाइसेंस शुल्क की प्रयोज्यता:</u>
ईडी (एफएंडए) द्वारा जारी दिनांक 11.4.07 के सीएचक्यू के पत्र संख्या एएआई/सीएचक्यू/फ्लाइंग क्लब/07 के माध्यम से परिचा लत टैरिफ और फ्लाइंग क्लबों की सूची के अनुसार लागू होगा। लाइसेंस शुल्क की सामान्य दर दिनांक 6.5.08 के पत्र के अनुसार होगी।

उपर्युक्त स्पष्टीकरण तथा सीएचक्यू में टैरिफ की रेशनलाइज़ेशन की समीक्षा के अतिरिक्त, यह स्पष्ट कया जाता है क दिनांक 6.5.08 के पत्र में उल्लि खत दरों के अनुसार शुल्क लागू होगा और हर साल 1 अप्रैल को @ 7.5% की दर से बढ़ाया जाएगा तथा इसे निकटतम 5/- से राउंड ऑफ कया जाएगा।

आईजीआई दिल्ली, सीएसआई मुंबई, हैदराबाद और बंगलौर हवाई अड्डों के संबंध में लागू होने वाली दरों के लए एक अलग पत्र जारी कया जाएगा।

भवदीय

(आर.वी.नारायणन)
कार्यपालक निदेशक (वा णज्यिक एवं भू म प्रबंधन)

प्रति:

1) कार्यपालक निदेशक (वत्त)-राजस्व
2) कार्यपालक निदेशक (वत्त)-इंटरनल ऑ डट
3) अध्यक्ष महोदय के ओएसडी
4) सदस्य (प्रचालन) के पीएस
5) सदस्य (पी एंड ए) के पीएस
6) सदस्य (वत्त) के पीएस
7) सदस्य (योजना) के पीएस
8) सीवीओ के पीएस